

# राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परिशिष्ट – 8



## आत्मा – दुमका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन–पत्र

प्रखंड पंजीकरण संख्या : ..... जिला पंजीकरण संख्या : .....

दिनांक : .....

सेवा में,

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका।

द्वारा :— प्रखंड कृषि पदार्थ/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत धान / दलहन / मोटा अनाज वर्ष ..... में अनुदानित दर पर कृषि यंत्र ..... का क्रय करना चाहता हूँ।

मेरे भूमि इत्यादि एवं आवासीय विवरण निम्नांकित हैं:—

- 1) नाम ..... पिता/पति श्री .....
- 2) आयु .....
- 3) ग्राम..... पंचायत..... प्रखंड..... जिला.....
- 4) मोबाइल नं0.....आधार नं0.....
- 5) रजिस्टर-2 के अनुसार खेसरा नं0.....रकवा(हेठ0).....
- 6) कृषक का श्रेणी – अनु0 जाति/अनु जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य.....
- 7) सिंचाई श्रोत—कुआँ/नहर/सरकारी अथवा नीजी नलकूप/तलाब/अन्य.....
- 8) मेरे पास अपना बिजली कनेक्सन/डीजल पम्पसेट/ट्रैक्टर हैं।
- 9) जल स्तर.....मी0 / सेमी0.....मिट्टी का प्रकार.....
- 10) खेत की चौहदी निम्न प्रकार हैं :—
  - (क) उत्तर के तरफ के किसान का नाम एवं पता.....
  - (ख) दक्षिण के तरफ के किसान का नाम एवं पता.....
  - (ग) पूर्व के तरफ के किसान का नाम एवं पता.....
  - (घ) पश्चिम के तरफ के किसान का नाम एवं पता.....

# परिशिष्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

## घोषणा पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) मैं पूर्व के वर्ष में उपरोक्त कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया हूँ।
- (2) मैं जो भी अनुदानित कृषि यंत्र प्राप्त करूँगा उसे मैं न स्थानान्तरित करूँगा/ न ही बेचूँगा सिफर अपने लिए उपयोग करूँगा।
- (3) उपर्युक्त सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं एवं संलग्न किये गये सभी अनुलग्नक छायाप्रति मेरे द्वारा दिये गये हैं।
- (4) घोषणा पत्र में कोई भी गलती पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कृषि विभाग कार्रवाई कर सकती हैं।

लाभार्थी (कृषक) का हस्ताक्षर

लाभार्थी का पहचान एवं अनुदान की अनुशंसा किया जाता है।  
त्रिस्तरीय पंचायत/राज्य संस्था के किसी प्रतिनिधि का  
हस्ताक्षर एवं मुहर

कार्यालय कार्य हेतु :-

- (1) कृषि यंत्र का नाम :.....
- (2) कृषि यंत्र का मेक :..... मॉडल..... ब्राण्ड.....
- (3) अश्व शक्ति (पम्पसेट) :..... कृषि यंत्र का मूल्य..... अनुदान.....
- (4) विक्रेता प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता :.....

नोट :- 500रु से अधिक का अनुदान होने पर कृषक का फोटो चिपकाने की आवश्यकता है।

### प्राप्ति रसीद

क्रम सं0 :-

पंजीकरण सं0 :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत.....

अनुदान प्राप्त करने के लिए श्री..... पिता / पति.....

ग्राम..... पंचायत..... प्रखंड.....

जिला - दुमका का आवेदन पत्र प्राप्त किया एवं अनुदान हेतु कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। अधिकृत विक्रेता से पुर्ण राशि का भूगतान कर कृषि यंत्र खरीद करेंगे तत्पश्चात यंत्र का अभिश्रव एवं बैंक खाता का विवरण सहित अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेंगे जिससे कि आपके खाते में अनुदान की राशि DBT के माध्यम से भेजा जा सके।

उप परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका

परियोजना निदेशक,  
आत्मा, दुमका